TIN No. 20850306656

झारखण्ड राज्य लघुवनोपज सहकारी विकास एवं विपणन संघ लि० (झाम्फकोफेड)

तृतीय तल्ला, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद बील्डिंग, ईटकी रोड, हेहल, राँची–834005, झारखण्ड।
E.mail I.D.:- mdjhamfcofed.ranchi@gmail.com Web Site :- www.jhamfcofed.com

पत्रांक : ..../राँची दिनांक : ....

निविदा

झाम्फकोफेड, राँची द्वारा खरीदा गया अच्छी क्वालिटी के 10:00 MT गीजन गोन्द जो रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा भंडार में भंडारित है, को बेचने का प्रस्ताव है। इच्छुक खरीद्दार दिनांक 08.09.2014 के 2:00 बजे दिन तक प्रति किलो की क्रय करने की दर सीलबन्द लिफाफे में अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें। निविदा उसी दिन व्यवसाय उपसमिति एवं उपस्थित निविदादाता के समक्ष 3:00 बजे दिन में खोला जायेगा। निविदा के साथ 10,000/– रूपया का अग्रधन राशि का Demand Draft, JHAMFCOFED Payable at Ranchi के नाम से गीजन गोन्द के लिए जमा करना अनिवार्य होगा। जानकारी एवं अन्य शर्तों आदि के लिए कृपया हमारे कार्यालय अथवा mdjhamfcofed@gmail.com से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रबंध निदेशक।

निविदा की शर्ते :

1. गीजन गोन्द रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा में भंडारित है।
2. क्रेता रंका व्यापार मण्डल सहयोग समिति लि०, रंका, गढ़वा जाकर गीजन गोन्द के नमूनों की जाँच कर सकते हैं।
3. दिनांक 08.09.2014 (सोमवार) को 2:00 बजे दिन तक निविदा दी जा सकती है।
4. निविदा के साथ 10,000/– रूपये की राशि गीजन गोन्द के लिए Demand Draft, JHAMFCOFED Payable at Ranchi के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अग्रधन के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल निविदादाता को छोड़कर अन्य का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
5. दिनांक 08.09.2014 (सोमवार) को व्यवसाय उपसमिति के समक्ष 3:00 बजे दिन में निविदा खोली जायेगी।
6. अधिकतम दर देने वाले क्रेता को क्रय मूल्य के कुल राशि का 10% अग्रिम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा तथा पूर्ण भुगतान कर 15 दिनों के अन्दर उठाव कर लेना होगा। माल का उठाव सीधे भंडारित स्थल से किया जायेगा।
7. राशि के भुगतान के पश्चात गीजन गोन्द के उठाव का प्राधिकार पत्र दिया जायेगा।
8. गीजन गोन्द क्रय हेतु निविदादाता द्वारा दिये गये अधिकतम दर पर किसी एक क्रेता को माल की आपूर्ति की जायेगी।
9. बिक्री कर तथा अन्य देय कर यदि कोई हो आदि का भुगतान निविदादाता/क्रेता द्वारा उठाव के समय संघ को किया जायेगा।
10. इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर विवाद का निपटारा निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड राँची के द्वारा की जायेगी, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा के शर्त्तों में परिवर्त्तन अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।